

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 21-10-2020

चोरी के आरोप में एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी के मार्गदर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी महोदय के कुशल निर्देशन में उ०नि० नवनीत नागर मय हमराह कां० कृष्ण कुमौर गौड़ व कां० सुरेश सिंह यादव के विनावर तलाश वाछित अभियुक्त व वारन्टी में मामूर थे कि जरिए मुखविर सूचना मिली कि मु०अ०सं० 710/2020 धारा 379,411 भादवि मे दिनांक 09.09.2020 को चोरी की गयी मोपेड एक व्यक्ति ककना तिराहे पर लेकर खड़ा है तथा बेचने की फिराक में है, जल्दबाजी करने पर गाड़ी की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती है, मुखविर खास की इस सूचना पर विश्वास करते हुए उ०नि० नवनीत नागर मय हमराही कर्मचारीगण के मय मुखविर के ककना तिराहे पर पहुंचा मुखविर ने कुछ दूर से ही इशारा कर हट बढ गया, मौके पर पहुंच कर खडे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रूपचन्द पुत्र बांके निवासी ग्राम नगवा, थाना खजनी जनपद गोरखपुर बताया अभियुक्त से वाहन के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया तो बताया कि मैं तथा मेरा साथी मनोज पुत्र मूलचन्द निवासी जैतपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 09.09.2020 को मंझरिया जाने वाले मार्ग पर से वाहन को चोरी किये थे कही बेचने हेतु ले जाने वाले थे कि आप लोगो ने आकर पकड़ लिया, अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए, समय करीब 19.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । जिसके विरुद्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 710/2020 धारा 379, 411 भादवि पंजीकृत है अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय गोरखपुर रवाना किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

1. रूपचन्द पुत्र बांके निवासी ग्राम नगवा, थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

मोपेड - यू०पी 53 डी०आर० 3110 टीवीएस एक्स एल 100

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ०नि० नवनीत नागर
2. कां० कृष्ण कुमार गौड़
3. कां० सुरेश सिंह यादव